



# प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 23.02.2023-

अपराध नियंत्रण की दिशा में कानपुर देहात पुलिस को मिली एक और सफलता।  
थाना रनिया पुलिस की कार्यवाही से मु0अ0सं0 014/2023 धारा 363/366/506  
भादवि0 में वांछित 01 नफर नामजद अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक कुमार सिंह कुशल मार्गदर्शन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना रनिया पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुये वादी श्री कुन्दन पुत्र स्व0 ललतू निवासी मुबारकपुर लाटा थाना रनियां जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 25.01.2023 को तहरीर दी गई कि मेरे ही गांव के 02 युवक मेरी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गये है, जिसके सम्बन्ध में थाना रनियां पर मु0अ0सं0 0014/2023 धारा 363/366/506 भादवि0 बनाम 02 नफर नामजद पंजीकृत किया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.02.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना रनियां पुलिस द्वारा वांछित 01 नफर नामजद अभियुक्त पंकज पुत्र अशोक दिवाकर निवासी मुबारकपुर लाटा थाना रनिया, कानपुर देहात को गजनेर रायपुर चौराहा, रायपुर थाना रनियां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1.पंकज पुत्र अशोक दिवाकर निवासी मुबारकपुर लाटा थाना रनिया, कानपुर देहात

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 14/2021 धारा 363/366/506 भादवि0 थाना रनिया कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री प्रभाकर यादव थाना रनियां कानपुर देहात

2.हे0कां0 95 हरिओम थाना रनिया कानपुर देहात